कार्यालय जिला पंचायत

महात्मा गांधी नरेगा शाखा, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@ nic.in zpmgnrega@gmail.com Phon/Fax 07868-241482

--0 प्रेस विज्ञप्ति 0--

क्रमांक/ 8166 /जि.पं/मनरेगा/लेखा-स्था./17-18 कांकेर,दिनांक 13/9/2017

अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पं.ग्रा.वि.वि द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 2584/22/पंगाविवि/ 2017-18 नया रायपुर दिनांक 01.07.2017 के माध्यम से मनरेगा योजनांतर्गत, जिला पंचायत हेतु अधिकतम 40,000/- की मासिक राशि पर (फ्यूल एवं अन्य व्यय सहित) किराये की वाहन रखने की अनुमति प्राप्त हुई है। इच्छुक वाहन मालिक वाहन प्रकार- स्कार्पियो, बूलैरो, टवेरा, क्वालीस एवं समतुल्य वाहन जिला पंचायत कांकेर को किराये पर देने हेतु, जिला पंचायत मनरेगा शाखा, उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से 03 दिवस के भीतर निम्न शर्तों के अधीन अपनी सहमति पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. जिले के अंदर किसी भी जनपद/ग्राम पंचायतों के भ्रमण हेतु वाहन का उपयोग किया जावेगा। देय योग्य अधिकतम 40,000/-(फ्यूल एवं अन्य व्यय सहित) किराया राशि वाहन चालक द्वारा संधारित लॉगबूक में दर्शित विवरण जैसे- दूरी, प्रयोजन, स्थल आदि के आधार पर भुगतान योग्य होगी।
2. वाहन किराये पर नियोजित/ अनुबंधित करने की अवधि 03 माह की होगी, आवश्यकता के आधार पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
3. वाहन मालिक को वाहन चालक की भी व्यवस्था करनी होगा, जिसके लिए मानदेय, स्वास्थ्य, भत्ते आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक के कार्य पर अनुपस्थित होने अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में वाहन मालिक के द्वारा अविलंब दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।
4. वाहन मालिक को, वाहन चालक की ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य समस्त दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
5. नियत समयावधि 03 दिवस तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा स्थानीय अथवा गैर स्थानीय फर्म को कार्यादेश जारी किया जावेगा, जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार के दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

(कलेक्टर एवं DPC MGNREGA द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(कृपया नीचे प्रकाशित न करें।)

पृ.क्रमांक/ 8167 /जि.पं/मनरेगा/लेखा-स्था./2017 **कांकेर,दिनांक 13/9/2017**

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तर बस्तर कांकेर सूचनार्थ। **कृपया समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना** सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कांकेर को जिले के वेबसाईट पर विज्ञप्ति अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)